न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 65/2012/ जिला–अजमेर

1. कैली बेवा हरजी जाति रावत
2. गोपी पुत्र हरजी जाति रावत
3. सोहनी पुत्री हरजी जाति रावत
4. गीता बेवा नानू जाति रावत
5. शेखू पुत्र नानू जाति रावत
6. बरजी बेवा नौरत जाति रावत
7. कालू पुत्र नौरत जाति रावत
8. राजु पुत्र नौरत जाति रावत क्रमांक 7 व 8 नाबालिग पुत्र जरिये माता बरजी बेवा नौरत रावत समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

———अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती गौरी पत्नी सोहन जाति रावत
2. सोहन पुत्र सरदारा
3. रामकरण पुत्र सरदारा
4. बीला उर्फ विमला पुत्री सरदारा
5. सांवरा पुत्र गंगाराम
6. शौकीन पुत्र हरजी रावत समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलेक्टर, अजमेर दिनांक 15–03–2011
अपील संख्या 60/2010 बउनवान गौरी बनाम हरजी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री अजयपाल लामरोर अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 26.09.2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ल्यालीखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 209 रकबा 5–6–00 बीघा, खसरा नम्बर 210 रकबा 7–16–10 बीघा,

खसरा नम्बर 217 रकबा 5–05–00 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 1–4–00 बीघा, खसरा नम्बर 519 रकबा 5–05–00 बीघा, खसरा नम्बर 535 रकबा 4–00–00 बीघा कुल किता 6 व कुल रकबा 28–16–10 बीघा आराजी की खातेदार काश्तकार चनणी बेवा उदा जाति रावत थी जिसका दिनांक 4–3–2005 को नाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है। चनणी की सम्पूर्ण सेवा चाकरी अपीलांट संख्या 1 ने की थी जिससे प्रसन्न होकर दिनांक 20–9–2004 को विवादग्रस्त आराजियात की खातेदार चनणी बेवा उदा ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा अपीलांट के हक में कर दिया था उसके बावजूद तहसीलदार, पीसांगन ने विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जे काश्त के बारे में कोई जांच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 तस्दीक कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–3–2011 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर तहसीलदार, पीसांगन द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 निरस्त कर दोनों पक्षों को मृतका की कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट्स की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि है तथा जिसके अपीलार्थीगण वर्किंग जमाबंदी में खातेदार काश्तकार है तथा विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि के मालिक व काबिज काश्त है। पुश्तैनी भूमि का नामांतरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 तहसीलदार, पीसंगन द्वारा नियमानुसार तस्दीक किया गया। अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में अपील आदेश दिनांक 15–3–2011 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–11 की नकल दिनांक 25–3–2011 को अधिवक्ता द्वारा प्राप्त की गई तथा उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16–7–2011 को अपने अधिवक्ता से प्रकरण की जानकारी होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात अधिवक्ता से मिलकर सलाह मशविरा कर अपील पेश की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा

प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी खातेदारी भूमि है तथा पुश्तैनी खातेदारी भूमि में रेस्पोन्डेन्ट्स हरजी के वारिसान का 1/2 हिस्सा निहित है तथा जो आधार जमाबंदी में खाता संख्या 180/21 हाल खसरा नम्बर 234 रकबा 0.84, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.19, खसरा नम्बर 238 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 243 रकबा 0. 86, खसरा नम्बर 244 रकबा 1.27, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.73, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.65, खसरा नम्बर 594/1138 रकबा 0.18 कुल रकबा 4.85 भूमि नामान्तरकरण संख्या 19 विरासत से चोथी केबजाय सोहन रामकरण वल्द सरदारा, सांवरा वल्द गंगाराम, विला पुत्री सरदारा के नाम अंकन हुआ तथा हरजी की विरासत केली पत्नी हरजी, सोहनी पुत्री हरजी, गोपी, नानू, शाकिन, नौरत वल्द हरजी रावत के नाम वर्तमान जमाबंदी में अंकन की गई जो वर्किंग जामबंदी में सरदारा व हरजी व उदा पिसरान लादू के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा उदा का नाऔलाद फौत हो गया तथा जिससे सरदार व हरजी के वारिसान के नाम उपरोक्त भूमि 1/2–1/2 हिस्से के रूप में खातेदारी दर्ज की गई उक्त भूमि पुश्तैनी होने से वसीयत नहीं हो सकती है। जिससे अपीलांट की अपील में पारित आदेश खारिज योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज लादू के तीन पुत्र सरदारा हरजी व उदा पुत्र हुए जिनमें उदा नाऔलाद फौत हो गया तथा उदा की पत्नी चणनी भी फौत हो गई, के कोई वारिस नहीं है। लादू के पुत्रगण सरदारा व हरजी दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई तथा सरदारा के वारिसान सोहन, रामकरण और विला पुत्री व गंगाराम पुत्र हुए तथा गंगाराम की मृत्यु हो गई उसका पुत्र सांवरा हुआ तथा इसी प्रकार हरजी की मृत्यु हो गई जिनके वारिसान केली पत्नी हरजी, गोपी व किशन पुत्र हुए तथा सोहनी पुत्री हुई एवं नानू पुत्र हुआ जिसमें नानू की भी मृत्यु हो गई, के वारिस गीता व शेखू हुए। इस प्रकार हरजी व सरदारा के वारिसान के नाम 1/2–1/2 हिस्सा वर्किंग जमाबंदी के आधार पर जमाबंदी में नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गई तथा नामान्तरकरण संखय 110 दिनांक 6–4–2005 तहसीलदार पीसांगन द्वारा नियमानुसार तस्दीक किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती गौरी द्वारा पुश्तैरी भूमि की वसीयत दिनांक 25–9–2004 को कूटरचित तरीके से तैयार कर गलत व मिथ्या तथ्यों पर लगभग 5 वर्ष पश्चात अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर ही नहीं बल्कि क्षैत्राधिकार के बाहर भी थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपर

जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–3–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात की रेकार्डेड खातेदार चणनी बेवा उदा जाति रावत थी। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहान जरिये वसीयत दिनांक 20–9–2004 को अपीलांट के पक्ष में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के समक्ष कर दी थी। चनणी बेवा उदा की मृत्यु पश्चात दिनांक 4–3–2005 से ही अपीलांट बतौर वसीयत वारिस काबिज काश्त चली आ रही है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलांट के अनपढ़ होने का नाजायज लाभ उठाकर राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ कर गैर कानूनी रूप से आक्षेपित नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रथम बार नामान्तरकरण भरने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम 45 दिवस में सुनवाई का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचात को था इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही किसी व्यक्ति की साक्ष्य ही दर्ज की जबकि मृतका नाऔलाद फौत हुई थी। तहसीलदार, पीसांगन को नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करने के पश्चात नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–3–2011 पारित किया है जिसे निरस्त किया जाकर चनणी बेवा उदा द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में तस्दीक वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। विवादग्रस्त आराजियात वर्किंग जमाबंदी में सरदारा व हरजी व उदा पिसरान लादू के नाम खातेदारी में दर्ज थी। पुश्तैनी संयुक्त भूमि की वसीयत चनणी बेवा उदा द्वारा अकेले रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम नहीं की जा सकती है। पुश्तैनी भूमि में सभी पक्षकारो का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक के वारिसानों को श्रेणीवार वर्गीकृत किया हुआ है। तहसीलदार पीसांगन द्वारा मृतका के विधिक वारिसानों की पूर्ण जांच नहीं कर विधिविरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमति गौरी द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 25–9–2004 को सन्देहास्पद बताया है जिसे अपीलांट सक्षम न्ययालय में चुनौति देकर निरस्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश दिये है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण तहसीलदार पीसांगन को विवादग्रस्त आराजियात के विधिक पक्षकारों की जांच कर उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर जिला कलक्टर) अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–03–2011 अन्तर्गत अपील संख्या 60/2010 बउनवान श्रीमति गौरी बनाम हरजी व अन्य तथा तहसीलदार, पीसांगन द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 6–4–2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात से संबंधित विधिक वारिसानों की नये सिरे से जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर